VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(12 December 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- भारत में न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का मुद्दा
- भारत में मलेरिया के मामलों और मौतों में उल्लेखनीय कमी: WHO रिपोर्ट
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत में न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का मुद्दा:

चर्चा में क्यों है?

- राज्यसभा में विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा, पिछले सप्ताह विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ, महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि 2019 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति यादव पर अपने भाषण में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई विवादास्पद बयान देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में दिए गए न्यायमूर्ति यादव के भाषण पर संज्ञान लिया है और अदालत से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 218 में कहा गया है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज के संबंध में भी लागू होंगे।
- अनुच्छेद 124(4) के तहत, किसी जज को संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से केवल दो आधारों पर हटाया जा सकता है: "सिद्ध कदाचार" और "अक्षमता"।
- सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में "मौजूद और मतदान करने वाले" कम से कम दो-तिहाई लोगों को जज को हटाने के पक्ष में वोट देना चाहिए - और पक्ष में वोटों की संख्या प्रत्येक सदन की "कुल सदस्यता" के 50% से अधिक होनी चाहिए। यदि संसद ऐसा वोट पारित करती है, तो राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश पारित करेंगे।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाभियोग के आधार और प्रक्रिया में उच्च मानक हैं।

न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया:

- न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 में न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 3 के तहत, महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जांच समिति का गठन:

- प्रस्ताव पेश होने के बाद, सभापति/अध्यक्ष को जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करना होता है।
- समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, और इसमें किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सभापति/अध्यक्ष की राय में एक "प्रतिष्ठित न्यायविद" व्यक्ति शामिल होता है।
- यह समिति आरोप तय करती है, और यदि महाभियोग का आरोप मानसिक अक्षमता के आधार पर है, तो वह न्यायाधीश के लिए चिकित्सा परीक्षण की मांग कर सकती है।

समिति के निष्कर्ष:

- जांच पूरी होने के बाद, यह समिति अपने निष्कर्षों और टिप्पणियों के साथ अध्यक्ष/सभापति को एक रिपोर्ट सौंपेगी। अध्यक्ष/सभापति रिपोर्ट को "जितनी जल्दी हो सके" लोकसभा/राज्यसभा के समक्ष रखेंगे।
- यदि रिपोर्ट में पाया जाता है कि न्यायाधीश 'दुर्व्यवहार' या 'अक्षमता' का दोषी नहीं है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाएगा।
- दोषी पाए जाने की स्थिति में, समिति की रिपोर्ट को उस सदन द्वारा विशेष बहुमत से अपनाया जाता है जिसमें इसे पेश किया गया था, और फिर उसी सत्र में संसद के प्रत्येक सदन द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए न्यायाधीश को हटाने की मांग की जाती है।

न्यायाधीशों से जुड़े महाभियोग प्रक्रिया के उदाहरण:

- स्वतंत्रता के बाद से किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने के छह प्रयासों में से कोई भी सफल नहीं रहा है। केवल दो मामलों में - जिसमें न्यायमूर्ति रामास्वामी और न्यायमूर्ति सेन शामिल हैं - जांच समितियों ने दोषी पाया है।

न्यायमूर्ति वी रामास्वामी (1993):

- सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ पहली महाभियोग कार्यवाही 1993 में वित्तीय अनियमितता के आधार पर शुरू की गई थी। प्रस्ताव विफल हो गया, और न्यायमूर्ति रामास्वामी एक साल बाद सेवानिवृत्त हो गए।

न्यायमूर्ति सौमित्र सेन (2011):

- कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर भी भ्रष्टाचार के आधार पर 2011 में महाभियोग चलाने की कोशिश की गई थी।
- न्यायमूर्ति सेन पर राज्यसभा द्वारा महाभियोग लगाया गया था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा निर्धारित होने से कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था।
- न्यायमूर्ति सेन के इस्तीफे के साथ ही कार्यवाही समाप्त हो गई।

न्यायमूर्ति एस के गंगेले (2015):

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस के गंगेले पर यौन उत्पीड़न के आरोप में 2015 में महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। आरोपों की जांच के लिए गठित एक समिति ने 2017 में उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला (2015):

- न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, जो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं, पर 2015 में महाभियोग चलाने की कोशिश की गई थी, जब वे गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इनके द्वारा एक निर्णय में की गई टिप्पणियों के विरुद्ध उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उनकी टिप्पणी कि आरक्षण उन कारणों में से एक है जिसने "देश को सही दिशा में प्रगति करने की अनुमति नहीं दी है"।
- न्यायाधीश ने अपने निर्णय से टिप्पणियों को हटा दिया, और महाभियोग प्रस्ताव को बाद में तत्कालीन राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति सी वी नागार्जुन (2017):

- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी वी नागार्जुन पर 2017 में महाभियोग चलाने की कोशिश की गई थी। उन पर एक दलित न्यायाधीश को प्रताड़ित करने और वित्तीय कदाचार का आरोप लगाया गया था। दोनों प्रस्ताव विफल हो गए क्योंकि राज्यसभा के सांसदों ने अपने नाम वापस ले लिए थे - जिसके परिणामस्वरूप प्रस्ताव आवश्यक संख्या से कम हो गया।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा (2018):

- सबसे हालिया महाभियोग का प्रयास 2018 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का राजनीतिक रूप से विवादास्पद मामला था। इस प्रस्ताव को प्रारंभिक चरण में तत्कालीन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था।

साभार: द इंडियन एक्सप्रेस

भारत में मलेरिया के मामलों और मौतों में उल्लेखनीय कमी: WHO रिपोर्ट

भारत में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी:

- 11 दिसंबर को जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हुई है और आधिकारिक तौर पर 2024 में स्थानिक देशों के उच्च बोझ उच्च प्रभाव (HBHI) समूह से बाहर निकल गया है।
- उल्लेखनीय है कि HBHI दृष्टिकोण WHO का एक लक्षित मलेरिया प्रतिक्रिया पहल है जिसका उपयोग कई उच्च बोझ वाले देशों में मलेरिया उन्मूलन की गति को तेज करने के लिए किया जाता है। भारत जुलाई 2019 में HBHI पहल में शामिल हुआ। यह पहल भारत के चार राज्यों: छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी।

- भारत में मलेरिया के मामले 2017 में 64 लाख से 69 प्रतिशत घटकर 2023 में 20 लाख हो गए। इसी अवधि में मलेरिया से होने वाली अनुमानित मौतें 11,100 से घटकर 3,500 (68 प्रतिशत की कमी) हो गईं।

भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए क्या कारगर पहल रही?

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के रोग उन्मूलन अध्यक्ष डॉ. रजनी कांत श्रीवास्तव के अनुसार, यह आर्टीमिसिनिन-आधारित संयोजन चिकित्सा (ACT) और लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल (LLIN) के कारण संभव हुआ। संयोजन चिकित्सा का लाभ यह है कि आर्टेमिसिनिन सबसे पहले एक निश्चित प्रोटीन पर हमला करके मलेरिया के अधिकांश परजीवियों को मारता है, और साथी दवा बची हुई छोटी संख्या में परजीवियों को खत्म कर देती है।
- जब मच्छर LLIN के नीचे सो रहे किसी व्यक्ति को काटने की कोशिश करते हैं, तो वे न केवल जाल से अवरुद्ध हो जाते हैं, बल्कि कीटनाशक कोटिंग से भी मर जाते हैं। CDC के अनुसार, यदि समुदाय के आधे से अधिक लोग कीटनाशक-उपचारित जाल का उपयोग करते हैं, तो क्षेत्र में मच्छरों की संख्या और उनका जीवनकाल कम हो जाएगा।

- प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन ने मामले के प्रबंधन में मदद की। रिपोर्ट के अनुसार, लक्षित हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप निदान, उपचार और दवाओं तक बेहतर पहुँच हुई। नई पीढ़ी के कीटनाशक उपचारित जाल, जो मलेरिया के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, का अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र को लेकर प्रमुख निष्कर्ष:

- WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 में आठ मलेरिया स्थानिक देश थे, जिनमें 40 लाख मामले थे और वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों के बोझ में 1.5 प्रतिशत का योगदान था।
- वर्ष 2023 में, भारत में इस क्षेत्र में मलेरिया के अनुमानित मामलों में से आधे मामले थे, उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान है, जहां लगभग एक तिहाई मामले थे।
- इस क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली मौतों में 82.9 प्रतिशत की कमी आई है, जो वर्ष 2000 में 35,000 से घटकर वर्ष 2023 में 6,000 हो गई है। भारत और इंडोनेशिया में इस क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली मौतों में लगभग 88 प्रतिशत मौतें हुई हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 के बीच इस क्षेत्र में मलेरिया के 27 करोड़ से अधिक मामले और 4.2 लाख मलेरिया से होने वाली मौतें टाली गईं।

- 2022 से 2023 तक, इस क्षेत्र के सभी देशों, सिवाय म्यांमार और थाईलैंड के, में मलेरिया से होने वाली मौतों में कमी दर्ज की गई है।

विश्व को लेकर प्रमुख तथ्य:

- विश्व स्तर पर 2023 में, 83 देशों में मलेरिया के अनुमानित 26.3 करोड़ मामले और 597000 मलेरिया से मौतें ही।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन का अफ्रीकी क्षेत्र वैश्विक मलेरिया के बोझ का अनुपातहीन रूप से उच्च हिस्सा वहन करता है। वर्ष 2023 में, अफ्रीकी क्षेत्र मलेरिया के 94% मामलों (24.6 करोड़) और मलेरिया से होने वाली मौतों का 95% (569000) का घर था।
- अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली सभी मौतों में से लगभग 76% मौतें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होती हैं।

मलेरिया के बारे में:

- मलेरिया एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। यह परजीवी संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया ज्यादातर संक्रमित मादा एनोफ़ेलीज़ मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति

में नहीं फैलता है। हालांकि रक्त आधान और दूषित सुई भी मलेरिया फैला सकती है।

- यह ज्यादातर उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है। इसे रोका जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है।
- मलेरिया के लक्षण हल्के या जानलेवा हो सकते हैं। हल्के लक्षण बुखार, ठंड लगना और सिरदर्द हैं। गंभीर लक्षणों में थकान, भ्रम और सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं।
- 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और लड़कियां और एचआईवी या एड्स से पीड़ित लोग गंभीर संक्रमण के जोखिम में हैं।
- मच्छरों के काटने से बचने और दवाओं के साथ मलेरिया को रोका जा सकता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे 'सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
   2. अनुच्छेद 211 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को हाई कोर्ट के जज के संबंध में भी लागू किया गया है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans:(a)

2. भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों के महाभियोग के आधार और प्रक्रिया में उच्च मानक स्थापित करने को लेकर न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत किसी महाभियोग प्रस्ताव को किस/किन तरीके से संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है?

(a) लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा

(b) राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा

(c) लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों द्वारा

(d) (b) या (c) दोनों में से किसी एक प्रक्रिया द्वारा

Ans:(d)

3. भारत में 'न्यायाधीशों के महाभियोग प्रक्रिया से जुड़े उदाहरणों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. स्वतंत्रता के बाद से किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने के छह प्रयासों में से किसी मामले में सफलता नहीं मिली है।
2. महाभियोग लगाने के छह प्रयासों में से केवल दो मामलों में जांच समितियों ने न्यायाधीशों को दोषी पाया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)

4. चर्चा में रहे 'मलेरिया बीमारी' के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) यह बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है।

(b) यह परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है।

(c) यह ज्यादातर शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में पाया जाता है।

(d) उपर्युक्त सभी सही हैं।

Ans:(b)

5. हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के 'भारत को लेकर निष्कर्षों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हुई है।
2. भारत आधिकारिक तौर पर 2024 में उच्च बोझ उच्च प्रभाव (HBHI) समूह से बाहर निकल गया है।
3. भारत जुलाई 2019 में HBHI पहल में शामिल हुआ।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) सभी 1, 2 और 3

Ans:(d)